न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली कैम्प जालोर
पीठासीन अधिकारी : डॉ. बजरंगसिंह चौहान, आर.ए.एस.

अपील संख्या : 24 / 2015

अपीलाण्ट	बनाम	रेस्पोडेन्ट्स
1 लालसिंह पुत्र करणसिंह राजपूत निवासी डाडोकि तहसील रानीवाडा जिला जालोर		1 राणाराम पुत्र धीराराम 2 जोईताराम पुत्र धीराराम निवासीगण चरपटीया तहसील रानीवाडा जिला जालोर 3 भूमिधारी तहसीलदार रानीवाडा जिला जालोर

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :–

1. श्री देवीसिंह चारण, विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट
2. श्री निखिल दवे, विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट

–: निर्णय :–

दिनांक : 24.1.18

अपीलाण्ट की ओर से यह अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत उपखण्ड अधिकारी रानीवाडा द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 33/2012 लालसिंह बनाम राणाराम वगैरा में पारित आदेश दिनांक 08.04.2015 के विरूद्ध पेश की, जिसे दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट द्वारा अपील मीमो में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि ग्राम डाडोकि के खसरा नमबर 28 रकबा 3.91 हैक्टेयर की भूमि अपीलाण्ट की खातेदारी भूमि है। उक्त भूमि में आवागमन का कोई रास्ता उपलब्ध नहीं होने के कारण अपीलाण्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर खसरा नम्बर 23 में से नया रास्ता प्रदान कराने का निवेदन किया। इसके आगे खसरा नम्बर 39 सरकारी भूमि होने से उसमें आवागमन की कोई समस्या नही है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील निर्णय में जहां से रास्ता होना अंकित किया है, वह नदी नाले की भूमि है, जो भूमि की सतह से 20 फीट ऊंची है। जिसमें अपीलाण्ट का ट्रेक्टर आदि नहीं जा सकता है तथा इसके अतिरिक्त बारिश में नाले में पानी बहने से अपीलाण्ट अपनी खातेदारी भूमि पर नहीं जा पायेगा। पटवारी हल्का द्वारा जो मौका रिपोर्ट तैयार की गई, उसमें अपीलाण्ट को सुनवाई

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

का अवसर ही नहीं दिया गया। अपीलाण्ट द्वारा वांछित भूमि खसरा नमबर 23 में रास्ता दिया जाना न्यायोचित है। इसी भूमि से पहले आपसी समझाईश से रास्ता चल रहा था, जिसे बाद में रेस्पोडेन्ट्स द्वारा बन्द कर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में उपलब्ध दस्तावेजात् एवं मौका की रिपोर्ट का विधि अनुसार परीक्षण नहीं किया गया तथा जैर अपील आदेश के जरिये प्रार्थना पत्र खारिज किया, जो विधि विरूद्ध है। अपीलाण्ट को यदि रास्ता प्रदान नहीं किया गया तो अपीलाण्ट अपनी खातेदारी भूमि में आवागमन करने से महरूम हो जायेगा तथा अपीलाण्ट के हक हकूक प्रभावित होंगे। लिहाजा अपील स्वीकार करावें एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित जैर अपील आदेश अपास्त कराते हुए ग्राम डाडोकि के खसरा नम्बर 23 में रास्ता प्रदान कराने का आदेश पारित करावें।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्स ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलाण्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष जो प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, उसमें पहले खसरा नम्बर 26 में से रास्ते की मांग की, फिर खसरा नम्बर 23 में से रास्ते की मांग की। अपीलाण्ट को यदि रेस्पोडेन्ट की भूमि में से रास्ता दिया जाता है, तो उनको नदी में से होकर जाना पड़ेगा। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 (ए) के तहत सुविधाजनक उपयोग हेतु रास्ता नहीं दिया जा सकता है, निकटमत मार्ग उपलब्ध कराने के प्रावधान है। पटवारी हल्का ने अपनी रिपोर्ट में निकमटम मार्ग खसरा नम्बर 26 मे से होकर बताया है। इसके अतिरिक्त खसरा नमबर 23 की डीएलसी दर 90000/– रूपये है एवं खसरा नम्बर 26 की राशि 6000/– रूपये होती है। अपीलाण्ट द्वारा खसरा नम्बर 26 में से ही रास्ते की मांग की है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में विद्यमान दस्तावेजों एवं तहसीलदार की रिपोर्ट का परीक्षण करते हुए जैर अपील आदेश पारित किया है, जिसमें किसी प्रकार की त्रुटी नहीं है।

उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलबध दस्तावेजातृ का अवलोकन किया। अपीलाण्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 (ए) के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपनी खातेदारी भूमि ग्राम डाडोकी के खसरा नम्बर 28 रकबा 3.91 हैक्टेयर की भूमि में आवागमन हेतु खसरा नम्बर 23 की भूमि में से 24 फीट रास्ता खसरा नम्बर 39 तक प्रदान कराने का अनुतोष चाहा। इसके पश्चात प्रशासन गांवो के संग अभियान के दौरान अपीलाण्ट द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर खसरा नम्बर 26 में से रास्ता प्रदान कराने का निवेदन किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तहसीलदार रानीवाडा से वांछित भूमि के सम्बन्ध में मौका एवं रेकर्ड की जांच करवाई गई। उक्त

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

आदेश की पालना में तहसीलदार रानीवाडा द्वारा दिनांक 29.10.2012 को मौका जांच की गई। उक्त मौका जांच रिपोर्ट पर किसी भी पक्षकार के हस्ताक्षर नहीं है तथा न ही मौका रिपोर्ट के अवलोकन से यह प्रतीत होता है कि उक्त मौका निरीक्षण बाबत किसी प्रकार को जरिये नोटिस सूचित भी किया गया हो। मौका जांच रिपोर्ट में यह अंकित किया कि खसरा नम्बर 23 में से जितनी भूमि रास्ते हेतु प्रयुक्त होती है, उतनी ही भूमि खसरा नम्बर 26 में से रास्ता दिये जाने पर भी प्रयुक्त होगी। उक्त दोनों ही भूमियों के दक्षिणी दिशा में गै0मु0 नाला आया हुआ स्थित है। इसके अतिरिक्त खसरा नम्बर 23 में अप्रार्थी का मकान बना होना बताते हुए खसरा नम्बर 23 में से रास्ता दिया जाना उचित नहीं होना बताया। तहसीलदार रानीवाडा द्वारा अपनी रिपोर्ट में खसरा नम्बर 26 में से रास्ते हेतु 0.0732 वर्गमीटर भूमि उपलब्ध होना बताया तथा यह भी जाहिर किया कि उक्त भूमि खसरा नम्बर 23 में से दिये जाने वाले रास्ते से कम है। इस रिपोर्ट में यह अंकित ही नहीं किया गया कि यदि खसरा नम्बर 23 में से रास्ता दिया जाता है, तो कितनी भूमि रास्ते हेतु प्रयुक्त होगी, जो खसरा नम्बर 26 में से दिये जाने वाले रास्ते से कम है ? तहसीलदार द्वारा वांछित मार्ग की आत्यांतिक आवश्यकता, सुविधाजनक उपयोग एवं वैकल्पिक मार्ग की उपलब्धता पर किसी प्रकार की टिप्पणी नहीं की है। तहसीलदार रानीवाडा की रिपोर्ट को दृष्टिगत रखते हुए वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध होना बताते हुए जैर अपील आदेश के जरिये अपीलाण्ट का आवेदन खारिज कर दिया।

जैर अपील प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा खसरा नम्बर 26 में से भी रास्ते की अनुतोष दिया जाना संभव नहीं होना जाहिर किया, जबकि खसरा नमबर 26 के खातेदार को न तो पक्षकार संयोजित किया तथा न ही उसे किसी प्रकार से सुना गया। खसरा नम्बर 23 में से रास्ता उपलब्ध होना व बन्द होने को वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध होना मानते हुए जैर अपील आदेश पारित किया है। तहसीलदार रानीवाडा द्वारा दिनांक 19.11.2012 को अपनी रिपोर्ट न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की, जबकि अपीलाण्ट द्वारा खसरा नम्बर 26 में से रास्ते का आवेदन दिनांक 11.02.2013 को प्रस्तुत किया गया। इससे पूर्व ही तहसीलदार द्वारा जो मौका जांच रिपोर्ट अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की, उसमें वांछित भूमि खसरा नम्बर 23 को नजरअन्दाज करते हुए खसरा नम्बर 26 में से रास्ता प्रदान कराने पर बल दिया, जो तथ्यविहिन एवं आधारहीन है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील आदेश पारित करने से पूर्व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 (ए) के आज्ञापक प्रावधानों का पूर्ण रूपेण विश्लेषण नहीं किया है तथा न ही मार्ग के सुविधाजनक उपयोग, वैकल्पिक मार्ग की अनुपलब्धता तथा मार्ग की आत्यांतिक

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

आवश्यकता पर किसी प्रकार की जांच की है। जिसके कारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित जैर अपील आदेश को समर्थन योग्य नहीं माना जा सकता है।

परिणाम स्वरूप अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत आंशिक स्वीकार की जाती है तथा उपखण्ड अधिकारी रानीवाडा द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 33/2012 लालसिंह बनाम राणाराम वगैरा में पारित आदेश दिनांक 08.04.2015 को अपास्त किया जाता है तथा प्रकरण इन निर्देशों के साथ अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उपरोक्त Observation को दृष्टिगत रखते हुए विधि सम्मत आदेश पारित करें। निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपी के साथ अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड लौटाया जावे।

यह निर्णय आज दिनांक 24.1.18 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. बजरंगसिंह चौहान)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली
कैम्प जालोर